



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 10, 2017/पौष 20, 1938

No. 60]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 10, 2017/PAUSA 20, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2017

का.आ. 69(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 2045 (अ) तारीख 27 जुलाई, 2015, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया;

चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के नगर पक्षी अभयारण्य का पारिस्थितिक, प्राणिजातीय, वनस्पतीय, आकृतिविज्ञानी, प्राकृतिक और भू-वैज्ञानिक महत्व है और वन्यजीव और इसके पर्यावरण के संरक्षण, प्रजनन और विकास के प्रयोजन के लिए इस क्षेत्र को चण्डीगढ़ प्रशासन की अधिसूचना सं. 18/1/48-एचआईआई(4)-98 तारीख 3 सितम्बर, 1998 द्वारा इसके कुल क्षेत्र 2.90 हेक्टेयर के साथ वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था।

और, वन्यजीव की विविधता में जैसे रोज़ रिंग तोता (*पिस्टाकुला करमारी*), ग्रे धनेश (*ओसिकेरोस बायरोसट्रीस*), घरेलू गौरैया (*पासर डोमेसटिकस*), सामान्य मैना (*एक्रीडोथेरस ट्रिसटिस*), भारतीय कोयल (*इयूडायनामस स्कोलोपैकेस*), लाल बेंडेड बुलबुल (*पायकोनोनोटस कैफर*), नीला रॉक कबूतर (*कोलम्बा लिविया*), स्टारलिंग होप (*फ्रेगिलपस वरिस*), रिंग बत्तख (*स्ट्रेप्टोपेलिया कैपिकोला*), ग्रीन बी इटर (*मेरोपस ओरिएन्टेलिस*), स्पॉटेड आउलेट (*एथेन वरमा*), बैंगनी सनबर्ड (*सिनेरस एशियाटिकस*), भारतीय ग्रे नेवला (*हरपेसटेस इडवारडिस*) और प्रचुर विभिन्न सरीसृप पाये जाते हैं;

और, इस अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण करना आवश्यक है तथा जिसकी सीमाओं को इस अधिसूचना के पैरा 1 में नगर पक्षी अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और पर्यावरण की दृष्टि से उद्योगों या उद्योगों के वर्ग को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में नगर पक्षी अभयारण्य की सीमा से 80 से 125 मीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को नगर पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--**(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन, नगर पक्षी अभयारण्य की सीमा से 80 से 125 मीटर के क्षेत्र तक विस्तारित है जो लगभग 12.2 हेक्टेयर के क्षेत्र से मिलकर बना है। पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन पूर्व की ओर (उपाबंध I मानचित्र के बिंदु संख्या I) 30°43'43.5" उत्तर अक्षांश और 76°46'58.1" पूर्व देशान्तर; पश्चिम की ओर (उपाबंध I मानचित्र के बिंदु सं. क) 30°43'43.4" उत्तर अक्षांश और 76°46'35.9" पूर्व देशान्तर; उत्तर की ओर (उपाबंध I मानचित्र के बिंदु सं. छ) 30°43'52.4" उत्तर अक्षांश और 76° 46'50.2" पूर्व देशान्तर और दक्षिण की ओर (उपाबंध I मानचित्र के बिंदु सं. ठ) 30° 43'34.3" उत्तर अक्षांश और 76°46'42.9" पूर्व देशान्तर से घिरा हुआ है।

(iii) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र, इसके अक्षांश और देशान्तर के साथ **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।

(iv) पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांक इसके अक्षांश और देशान्तर के साथ **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है।

(v) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले गृहों/भवनों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. **पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना--**(1) संघ राज्यक्षेत्र की सरकार पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से, एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगा।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और संघ राज्यक्षेत्र की विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार की जाएगी।

(4) आंचलिक महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित सभी संबद्ध संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन;
- (iii) नगर विकास;
- (iv) पर्यटन;
- (v) नगरपालिका;
- (vi) राजस्व;
- (vii) कृषि;
- (viii) चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति;
- (ix) सिंचाई; और
- (x) लोक निर्माण विभाग।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिक अनुकूल क्रियाकलाप कारक इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी।

3. संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- संघ राज्यक्षेत्र की सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के लिए प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्को और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, पैरा 5 के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं. 19, 22, 30 और 36 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;
- (ii) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग;
- (iii) वर्षा जल संचयन; और
- (iv) कृषि वानिकी, जिसके अंतर्गत बागवानी, उद्यान कृषि और फलोद्यान भी हैं।

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में पाई जाने वाली कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल-स्रोत --** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट ऐसे विकास क्रियाकलापों को जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हों, प्रतिषिद्ध करने के लिए मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन -** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा राजस्व और वन विभाग, संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिर्देशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

- (ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसोर्ट के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और अहातों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों के अनुसार पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, 2000 के अंतर्गत तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण सामान्य मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थलों पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा। पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि. 343(अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **यानीय यातायात**- परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानों और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडावर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	आरा मिलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध होंगे ।
(5)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध होंगे ।
(6)	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध होंगे ।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध होंगे ।
(8)	मध्यम घनत्व फाइबर/ पार्टिकल बोर्ड इकाइयों/ संयंत्रों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध होंगे ।
(9)	भूमि उपयोग पैटर्न का परिवर्तन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध होंगे ।
(10)	वाणिज्यिक जल स्रोत जिसके अन्तर्गत भू-जल संचयन भी है ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्राकृतिक जल स्रोतों के वाणिज्यिक उपयोग जिसके अंतर्गत भू-जल भी है, को प्रतिषिद्ध किया जाएगा । जल के संदूषण या प्रदूषण के निवारण के लिए सभी उपाय किये जाएंगे ।
(11)	होटलों और लॉजों की बाड़ लगाना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में होटलों और लॉजों के परिसर की बाड़ लगाना प्रतिषिद्ध होगा ।
(12)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	नगर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन में विदेशी प्रजातियों को लाना प्रतिषिद्ध होगा।
(13)	आतिशबाजी/पटाखों का उपयोग ।	नगर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन में आतिशबाजी/पटाखों का उपयोग प्रतिषिद्ध होगा।
ख. विनियमित क्रियाकलाप :		
(14)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंहीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
(15)	नई उच्च वोल्टता पारेषण लाइनों का परिनिर्माण ।	(i) नगर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन में उच्च वोल्टता पारेषण लाइनों का विद्यमान प्रतिषिद्ध होगा । (ii) नये विद्युत केबलों के परिनिर्माण को पारिस्थितिक संवेदी प्रबंध योजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा । (iii) भूगत केबलों के विद्यमान का संवर्धन किया जाएगा ।
(16)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	यथा लागू उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा ।

(17)	वायु (जिसके अन्तर्गत ध्वनि भी है) और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(18)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(19)	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के लिए, पर्यटकों के अस्थायी आवासन हेतु पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर, जैसे तंबू, लकड़ी के घर आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(20)	स्ट्रीट लाइटों का परिनिर्माण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(21)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्सारण।	उपचारित बहिर्वाह के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।
(22)	प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित ऐसे उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
(23)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(24)	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी। परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) इसके अतिरिक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन से परे, सदभाविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।
(25)	मोबाइल टावर का परिनिर्माण।	नगर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन में मोबाइल टावरों का परिनिर्माण प्रतिषिद्ध होगा।
(26)	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों को अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र सीमा के एक किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परन्तु पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरूप होगा।
(27)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(28)	पारिस्थितिक-पर्यटन क्रियाकलाप।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप :		
(29)	डेयरी, डेयरी उद्योग और मत्स्य उद्योग के साथ स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी गतिविधियां।	विधियों के अनुसार अनुज्ञात होंगे।
(30)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(31)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	विधियों के अनुसार अनुज्ञात होंगे।
(32)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(33)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

(34)	समुदाय प्रकृति आरक्षित।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(35)	वानस्पतिक बाड़।	विधियों के अनुसार अनुज्ञात होंगे।
(36)	कृषि वानिकी, जिसके अंतर्गत बागवानी, उद्यान कृषि और फलोद्यान भी हैं।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
(37)	कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(38)	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(39)	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- | | |
|---|---------------|
| (i) मुख्य वन्यजीव वार्डन, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र | —अध्यक्ष; |
| (ii) मुख्य वास्तुकार, चंडीगढ़, संघ राज्यक्षेत्र | —सदस्य; |
| (iii) मुख्य इंजीनियर, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र | —सदस्य; |
| (iv) मुख्य इंजीनियर, नगर निगम, चंडीगढ़, संघ राज्यक्षेत्र | —सदस्य; |
| (v) निदेशक नगर विकास, चंडीगढ़, संघ राज्यक्षेत्र | —सदस्य; |
| (vi) सदस्य-सचिव, चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति, चंडीगढ़, संघ राज्यक्षेत्र | —सदस्य; |
| (vii) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों में से चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि | -सदस्य; |
| (viii) चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ जिसे तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा | - सदस्य; और |
| (ix) राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य | -सदस्य; |
| (x) उप वन संरक्षक | - सदस्य-सचिव। |

निर्देश निबंधन

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक (वन्यजीव) ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध V** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

7. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे।

[फा. सं. 25/58/2014-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I


नगर पक्षी अभयारण्य, चंडीगढ़, संघ राज्यक्षेत्र के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाएं और परिसीमाएं

बिन्दु ए से बी	पीछे सड़क के बीच में से एच सं. 69 से सड़क के बीच में पीछे एच सं. 75
बिन्दु बी से सी	पीछे सड़क के बीच में से एच सं. 75 एच सं. 75 की तरफ
बिन्दु सी से डी	एच. सं. 75 की ओर से एच सं. 253 सड़क के बीच तक
बिन्दु डी से इ	सड़क की ओर बीच में से एच सं. 253 से सड़क के बीचों बीच एच सं. 307
बिन्दु इ से एफ	सड़क की ओर बच में से एच सं. 307 से सड़क के बीच में से एच सं. 321
बिन्दु एफ से जी	सड़क की ओर बीच में से एच सं. 321 से सड़क के बीच में से पीछे एच सं. 334
बिन्दु जी से एच	सड़क के बीच में से पीछे की ओर एच सं. 334 से सड़क के बीच में से पीछे एच सं. 328
बिन्दु एच से आई	सड़क के बीच में से पीछे की ओर एच सं. 328 से सड़क के बीच में से पीछे की ओर एच सं. 1016
बिन्दु आई से जे	सड़क के बीच में से पीछे की ओर एच सं. 1016 से एच सं. 1007 की ओर
बिन्दु जे से के	एच सं. 1007 की तरफ से सड़क के बीच में से पीछे की ओर एच सं. 1074
बिन्दु के से एल	सड़क के बीच में से एच सं. 1074 से एच सं. 1227 सड़क के बीच की ओर तक
बिन्दु एल से एम	एच सं. 1227 की तरफ से सड़क के बीच में पीछे तक एच सं. 1262
बिन्दु एम से एन	एच सं. 1262 के पीछे के साथ गर्वमेन्टल मॉडल सीनियर सेकेण्डरी स्कूल के पार्किंग की सीमा के पीछे एच सं. 56
बिन्दु एन से ए	एच सं. 56 के पीछे सड़क के बीच में से एच सं. 69

* विद्यमान सड़क के मामले में, विद्यमान सड़क के मध्य/केंद्र को पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के रूप में लिया गया है।

उपाबंध-II

नगर पक्षी अभयारण्य, चंडीगढ़, संघ राज्यक्षेत्र के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

उपाबंध-III

नगर पक्षी अभयारण्य, चंडीगढ़, संघ राज्यक्षेत्र के पारिस्थितिक संवेदी जोन की बाहरी सीमा के महत्वपूर्ण बिंदु दशनि वाले निर्देशांक

बिन्दु	अक्षांश	देशांतर
ए	076° 46' 35.9" पू	30° 43' 43.4" उ
बी	076° 46' 38.0" पू	30° 43' 44.7" उ
सी	076° 46' 38.2" पू	30° 43' 44.5" उ
डी	076° 46' 41.5" पू	30° 43' 46.4" उ
ई	076° 46' 47.5" पू	30° 43' 50.2" उ
एफ	076° 46' 47.1" पू	30° 43' 50.7" उ
जी	076° 46' 50.2" पू	30° 43' 52.4" उ
एच	076° 46' 53.8" पू	30° 43' 48.3" उ
आई	076° 46' 58.1" पू	30° 43' 43.5" उ
जे	076° 46' 51.0" पू	30° 43' 36.7" उ
के	076° 46' 50.0" पू	30° 43' 37.6" उ
एल	076° 46' 42.9" पू	30° 43' 34.3" उ
एम	076° 46' 41.9" पू	30° 43' 35.6" उ
एन	076° 46' 38.0" पू	30° 43' 40.7" उ

नगर पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के जी.पी.एस. निर्देशांक

क्र. सं.	जी.पी.एस. निर्देशांक
1.	उ 30° 43'39.4" पू 076° 46'45.2"
2.	उ 30° 43'42.9" पू 076° 46'51.6"
3.	उ 30° 43'43.1" पू 076° 46'51.5"
4.	उ 30° 43'42.4" पू 076° 46'50.2"
5.	उ 30° 43'44.1" पू 076° 46'48.9"
6.	उ 30° 43'45.4" पू 076° 46'50.8"
7.	उ 30° 43'46.6" पू 076° 46'49.8"
8.	उ 30° 43'45.6" पू 076° 46'48.1"
9.	उ 30° 43'46.2" पू 076° 46'47.4"
10.	उ 30° 43'43.2" पू 076° 46'42.1"

उपाबंध-IV

नगर पक्षी अभयारण्य, चंडीगढ़, संघ राज्यक्षेत्र के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले गृहों/भवनों की सूची

गृह सं.	गृह सं.	गृह सं.	गृह सं.	गृह सं.	अन्य क्षेत्र/भवन
56	284	1047	1227		i) निरंकारी दरवार
57	285	1048	1228		
58	286	1049	1229		ii) गर्वमेंट मॉडल सीनियर सेकेण्डरी
59	288	1050	1230		स्कूल, सेक्टर -21
60	290	1051	1231		
62	292	1052	1232		iii) चिल्ड्रेन पार्क, सेक्टर -21
63	294	1053	1233		

64	296	1054	1234	
65	298	1055	1235	
66	300	1056	1236	
67	302	1057	1237	
68	304	1058	1238	
69	307	1059	1239	
70	308	1060	1240	
71	309	1061	1241	
72	310	1062	1242	
73	311	1063	1243	
74	312	1064	1244	
75	313	1065	1245	
253	314	1066	1246	
254	315	1067	1247	
255	316	1068	1248	
256	321	1069	1249	
257	322	1070	1250	
258	323	1071	1251	
259	324	1072	1252	
260	325	1073	1253	
261	326	1074	1254	
262	327	1075	1255	
263	328	1076	1256	
264	329	1077	1257	
265	330	1078	1258	
266	331	1079	1259	
267	332	1080	1260	
268	333	1081	1261	
269	334	1212	1262	
270	1001	1213		
271	1002	1214		
272	1003	1215		
273	1004	1216		
274	1005	1217		
275	1006	1218		
276	1007	1219		
277	1016	1220		
278	1017	1221		
279	1018	1222		

280	1019	1223			
281	1020	1224			
282	1021	1225			
283	1022	1226			

उपाबंध-V**पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान**

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबंध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए कार्यवाही किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविधा के मामलों का सारांश । व्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविधा के मामलों का सारांश । व्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th January, 2017

S.O.69(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* number S.O. 2045(E), dated 27 July 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, the City Bird Sanctuary Union territory Chandigarh has ecological, faunal, floral, geomorphological, natural and geological significance and for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment, this area was declared as Wildlife Sanctuary *vide* Chandigarh Administration notification No. 18/1/48-HII(4)-98 dated 3rd September, 1998 with a total area of 2.90 hectare.

AND WHEREAS, a variety of Wildlife such as Rose ringed Parakeet (*Psittacula krameri*), Grey Hornbill (*Ocyeros birostris*), House sparrow (*Passer domesticus*), Common Myna (*Acridotheres tristis*), Indian Koel (*Eudynamys scolopaceus*), Red vented Bulbul (*Pycnonotus cafer*), Blue Rock Pigeon (*Columba livia*), Starling Hoopoe (*Fregilupus varius*), Ring Dove (*Streptopelia capicola*), Green bee eater (*Merops orientalis*), Spotted Owlet (*Athene brama*) Purple Sunbird (*Cinnyris asiaticus*), Indian Grey Mongoose (*Herpestes edwardsii*) and Various reptiles are found here in abundance;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the City Bird Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 80 to 125 meters from the boundary of the City Bird Sanctuary Union territory Chandigarh as the City Bird Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone (i) The Eco-sensitive Zone varies from 80 to 125 meters from the City Bird Sanctuary comprising an area of 12.0 hectares approximately. The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I**.

(ii) The Eco-sensitive Zone is bounded by 30°43'43.5"N latitude and 76°46'58.1"E longitude towards East (Point No. I of Annexure I map); 30° 43'43.4"N latitude and 76°46'35.9"E longitude towards west (Point No. A of Annexure I map); 30°43'52.4"N latitude and 76°46'50.2"E longitude towards north (Point No. G of Annexure I map) and 30°43'34.3"N latitude and 76°46'42.9"E longitude towards south (Point No. L of Annexure I map).

(iii) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitude and longitude is appended as Annexure II.

(iv) The coordinates of Eco-sensitive Zone with its latitudes and longitudes are appended as Annexure III.

(v) The list of the Houses/Buildings falling within Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure IV**.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The Union territory Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The said Plan shall be prepared by the Union territory Government for the Eco-sensitive Zone in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and Union territory Government laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The said Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

- (i) Environment;
- (ii) Forest;
- (iii) Urban Development;
- (iv) Tourism;
- (v) Municipal;
- (vi) Revenue;
- (vii) Agriculture;
- (ix) Chandigarh Pollution Control Committee.
- (x) Irrigation; and
- (xi) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The said Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The said plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The said Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The said Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development and livelihood security of local communities.

3. Measures to be taken by Union territory Government.-The Union Territory shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed at item numbers 19,22,30 and 36 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, for Eco-friendly tourism activities;
- (ii) Small scale industries not causing pollution;
- (iii) Rainwater harvesting; and
- (iv) Agro-Forestry, Agriculture operations including plantation, horticulture and orchards.:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the Union territory Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**-(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall be part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Union territory Government of Chandigarh in consultation with the Department of Revenue and Forests, Government of Union territory Chandigarh.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely.-

(i) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone in accordance with the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(ii) New construction of hotels and resorts shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone;

(iii) Till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**- Chandigarh Pollution Control Committee shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.**- Chandigarh Pollution Control Committee shall implement standards and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rule made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder.

(9) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) The local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) The biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site (s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited Activities:		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of existing polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
4.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per law.
5.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per law.
6.	Uses of plastic carry bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per law.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per law.
8.	Setting-up of Medium Density Fiber/ Particle Board Units/ Plants.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Change of land use pattern.	Prohibited (except as otherwise provided) as per law.
10.	Commercial water resources including ground water harvesting.	Commercial use of natural water resources including ground water will be prohibited in the Eco-sensitive Zone. All steps will be taken to prevent contamination or pollution of water.
11.	Fencing of premises of Hotels and lodges.	Fencing of premises of Hotels and Lodges shall be prohibited in the Eco-sensitive Zone.
12.	Introduction of exotic species.	Introduction of exotic species shall be prohibited in the Eco-sensitive Zone of City Bird Sanctuary.
13.	Use of Fireworks/ Crackers.	Use of Fireworks/Crackers in the Eco-sensitive Zone of City Bird Sanctuary shall be Prohibited.

B. Regulated Activities:		
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest land or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the Union territory. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or Union territory Act and the rules made there under.
15.	Erection of High tension Transmission lines.	(i) Laying of high tension transmission lines shall be prohibited in the Eco-sensitive Zone of City Bird Sanctuary. (ii) Erection of new electric cables shall be regulated as per Eco-sensitive Management Plan. (iii) Laying of underground cabling shall be promoted.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable
17.	Air (including noise) and vehicular pollution.	As regulated under law.
18.	Commercial Sign boards and hoardings.	As regulated under law.
19.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities.	As regulated under law.
20.	Erection of Street lights.	As regulated under law.
21.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
22.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
23.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Regulated under applicable laws.
24.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of protected area or up to the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer. Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per the applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-sensitive Zone, construction for <i>bone fide</i> local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
25.	Erection of Mobile Tower.	Erection of Mobile Towers shall be regulated in the Eco-sensitive Zone of City Bird Sanctuary.

26.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or up to the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities: Provided that, beyond one kilometer or up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan.
27.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws
28.	Eco-Tourism Activity.	Regulated under applicable laws
C. Promoted Activities:		
29.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	Permitted under law.
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Use of renewable energy sources.	Permitted under law.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Community Nature Reserve.	Shall be actively promoted.
35.	Vegetative fencing.	Permitted under law.
36.	Agro-Forestry, Agriculture operations including plantation, horticulture and orchards.	Permitted under applicable laws.
37.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
38.	Environnemental Awareness.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.

5. Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

- | | | |
|--------|---|--------------------|
| (i) | Chief Wildlife Warden, Union territory (UT) of Chandigarh | - Chairman; |
| (ii) | Chief Architect, UT, Chandigarh | -Member; |
| (iii) | Chief Engineer, UT, Chandigarh | -Member; |
| (iv) | Chief Engineer, Municipal Corporation UT, Chandigarh | -Member; |
| (v) | Director Rural Development, UT, Chandigarh | - Member; |
| (vi) | Member Secretary, Chandigarh Pollution Control Committee, UT, Chandigarh | -Member; |
| (vii) | A representative of Non-governmental Organizations' working in the field of environment to be nominated by the Government of Union territory Chandigarh for three years | - Member; |
| (viii) | One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of UT, Chandigarh for a term of three years | - Member; and |
| (ix) | Member of State Biodiversity Board | - Member |
| (x) | Dy. Conservator of Forest | - Member Secretary |

Terms of Reference:

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The tenure of the committee will be three years.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Conservator Forest (WL) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the Union Territory proforma appended at **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No. 25/58/2014-ESZ/RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE I

Limits and boundaries of the proposed Eco-sensitive Zone of City Bird Sanctuary Union Territory Chandigarh

Point A to B	From middle of the road behind H. No. 69 to middle of the road behind H. No. 75
Point B to C	From middle of the road behind H. No. 75 to side of H. No. 75
Point C to D	From side of H. No. 75 to middle of the road upto H. No. 253
Point D to E	From middle of the road from side of H. No. 253 to middle of the road side of H. No. 307
Point E to F	From middle of the road from side of H. No. 307 to middle of the road upto H.No. 321
Point F to G	From middle of the road from side of H. No. 321 to middle of the road behind H. No. 334
Point G to H	From middle of the road behind H. No. 334 to middle of the road behind H. No. 328
Point H to I	From middle of the road behind H. No. 328 to middle of the road behind H. No. 1016
Point I to J	From middle of the road behind H. No. 1016 to side of H. No. 1007
Point J to K	From side of H. No. 1007 to middle of the road upto side of H. No. 1074
Point K to L	From middle of the road side of H. No. 1074 to middle of the road upto side of H. No. 1227
Point L to M	From side of H. No. 1227 to middle of the road behind H.No.1262
Point M to N	From behind H. No. 1262 along governmental Model Senior Secondary School Parking to School Boundary behind H. No. 56
Point N to A	From behind H. No. 56 to middle of the road upto side of H. No. 69

* In case of existing road, the middle/centre of the existing road has been taken as Boundary of Eco-sensitive zone.

Annexure II

Map of Eco-sensitive Zone boundary of City Bird Sanctuary Union Territory Chandigarh.



Annexure III

The coordinates showing prominent points of the outer boundary of City Bird Sanctuary, Union Territory Chandigarh

POINT	LATITUDE	LONGITUDE
A	076° 46' 35.9" E	30° 43' 43.4" N
B	076° 46' 38.0" E	30° 43' 44.7" N
C	076° 46' 38.2" E	30° 43' 44.5" N
D	076° 46' 41.5" E	30° 43' 46.4" N
E	076° 46' 47.5" E	30° 43' 50.2" N
F	076° 46' 47.1" E	30° 43' 50.7" N
G	076° 46' 50.2" E	30° 43' 52.4" N
H	076° 46' 53.8" E	30° 43' 48.3" N
I	076° 46' 58.1" E	30° 43' 43.5" N
J	076° 46' 51.0" E	30° 43' 36.7" N
K	076° 46' 50.0" E	30° 43' 37.6" N
L	076° 46' 42.9" E	30° 43' 34.3" N
M	076° 46' 41.9" E	30° 43' 35.6" N
N	076° 46' 38.0" E	30° 43' 40.7" N

G.P.S. Co-ordinates of Boundary of Eco-Sensitive Zone of City Bird Sanctuary

S. No.	G.P.S. Readings
1.	N 30° 43' 39.4" E 076° 46' 45.2"
2.	N 30° 43' 42.9" E 076° 46' 51.6"
3.	N 30° 43' 43.1"

	E076 ⁰ 46'51.5"
4.	N 30 ⁰ 43'42.4" E076 ⁰ 46'50.2"
5.	N 30 ⁰ 43'44.1" E076 ⁰ 46'48.9"
6.	N 30 ⁰ 43'45.4" E076 ⁰ 46'50.8"
7.	N 30 ⁰ 43'46.6" E076 ⁰ 46'49.8"
8.	N 30 ⁰ 43'45.6" E076 ⁰ 46'48.1"
9.	N 30 ⁰ 43'46.2" E076 ⁰ 46'47.4"
10.	N 30 ⁰ 43'43.2" E076 ⁰ 46'42.1"

Annexure IV

The list of the Houses/Buildings falling within the proposed Eco-sensitive Zone of City Bird Sanctuary Union Territory Chandigarh.

House No.	House No.	House No.	House No.	House No.	Other Areas/Buildings
56	284	1047	1227		i) Nirankari Darbar
57	285	1048	1228		
58	286	1049	1229		ii) Govt. Model Sr. Sec. School, Sec-21
59	288	1050	1230		
60	290	1051	1231		
62	292	1052	1232		iii) Children Park, Sec-21
63	294	1053	1233		
64	296	1054	1234		
65	298	1055	1235		
66	300	1056	1236		
67	302	1057	1237		
68	304	1058	1238		
69	307	1059	1239		
70	308	1060	1240		
71	309	1061	1241		
72	310	1062	1242		
73	311	1063	1243		
74	312	1064	1244		
75	313	1065	1245		
253	314	1066	1246		
254	315	1067	1247		
255	316	1068	1248		
256	321	1069	1249		
257	322	1070	1250		
258	323	1071	1251		
259	324	1072	1252		
260	325	1073	1253		
261	326	1074	1254		
262	327	1075	1255		
263	328	1076	1256		
264	329	1077	1257		
265	330	1078	1258		
266	331	1079	1259		
267	332	1080	1260		
268	333	1081	1261		
269	334	1212	1262		
270	1001	1213			

271	1002	1214		
272	1003	1215		
273	1004	1216		
274	1005	1217		
275	1006	1218		
276	1007	1219		
277	1016	1220		
278	1017	1221		
279	1018	1222		
280	1019	1223		
281	1020	1224		
282	1021	1225		
283	1022	1226		

Annexure V**Proforma of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of Meetings:
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record:
Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006:
Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance: